इकाई 9 संप्रभुता

इकाई की रूपरेखा

9.1 प्रस्तावना
9.2 संप्रभुता क्या है?
9.2.1 संप्रभुता की कुछ परिभाषाएँ
9.2.2 सप्रभुता का अर्थ
9.3 संप्रभुता की धारणा का विकास
9.4 संप्रभुता के प्रकार
9.4.1 वास्तविक और औपाधिक संप्रभुता
9.4.2 विधिक और राजनीतिक संप्रभुता
9.4.3 विधिसम्मत और तथ्यपरक संप्रभुता
9.4.4 लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा
9.5 ऑस्टिन की संप्रभुता धारणा
9.6 ऑस्टिन की संप्रभुता धारणा पर बहुवादी आक्षेप
9.6.1 संप्रभुता का बहुवादी दृष्टिकोण – एक समालोचना
9.7 संप्रभुता और भूमंडलीकरण – नई चुनौतियाँ
9.7.1 संप्रभुता और सत्ता–दल
9.7.2 संप्रभुता और भूमंडलीय अर्थव्यवस्था
9.7.3 संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय संगठन
9.7.4 संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय कानून
9.8 सारांश
9.9 अभ्यास

9.1 प्रस्तावना

आमतौर पर कहा जाता है कि राज्य हमारा है और यह हमारे हित के लिए है। हम सभी संविधान से अधिकार प्राप्त हैं और राज्य को उनका सम्मान करना चाहिए। हम यह भी जानते हैं कि सरकार शान्ति और सुरक्षा के रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। इस प्रयोजनार्थ सरकार कानून बनाती है और उसे उन्हें दंड देने का अधिकार होता है, जो उनका उल्लंघन करते हैं। परन्तु प्रश्न उठता है कि हम कानून का पालन क्यों करें और राज्य का प्राधिकार क्या है? हम अपने दैनिक जीवन में प्रत्येक जगह राज्य के प्राधिकार को महसूस करते हैं; उदाहरण के लिए, जब हम प्राधिकारियों से किसी पक्षपात की उम्मीद करते हैं और प्राधिकारी वैसा करने से मना कर देते हैं, तो हम उनका विरोध करते हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम महसूस करते हैं कि जो हम चाहते हैं उसे पाने का हमारा अधिकार है, हम इसके पात्र हैं और सरकार हमारे लिए कार्य करने के लिए बाध्य है। यदि यह सब हमें अच्छी तरह ज्ञात है, तब हम ऐसा क्यों कहते हैं कि हमें वह सब अध्ययन करना है जिसे हमें पहले ही जानते

Scanned with CamScanner

हैं। परन्तु क्या हम आश्वस्त है कि हम इसे अच्छी तरह जानते है अथवा हमारी जानकारी अधूरी है। तथ्य यह है कि हम राज्य सत्ता अथवा संप्रभुता के केवल अंशमात्र दृष्टिकोण से भिज्ञ है। यह बात सामान्य प्रतीत होती है, परन्तु तथ्य यह है कि यह राजनीति शास्त्र में सबसे जटिल विषय है और आधी–अधूरी जानकारी का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि राज्य सत्ता ऐसा कुछ नहीं है जो सैद्धान्तिक है और पुस्तकों तक सीमित है। हमें इसे उस समय विशेष रूप से भुगतना पड़ता है, जब हम अपने हमारे दोस्त सरकार को अनुक्रियाहीन और भावशून्य पाते हैं। अतः राजनीतिक सिद्धान्तों का अध्ययन करते समय हमें संप्रभुता को सुस्पष्टतः और यथार्थतः अध्ययन करने के लिए विस्तारपूर्वक जानने की आवश्यकता है, क्योंकि कुल मिलाकर यह सब उपरोक्त और अन्य मूलभूत धारणाओं और परिभाषाओं से सम्बन्धित है, जिसके लिए हम उन समाजों की जटिल विषमताओं को समझने का प्रयास करें जिनके बीच हम रहते है।

9.2 संप्रभुता क्या है?

परम्परागत राजनीति–सिद्धांत के अनुसार संप्रभुता एक अहम् धारणा है। यह राज्य के चार संघटकों में से एक है, जिसके बिना राज्यत्व अधूरा है। लैटिन शब्द सुपरएनस (superanus) जिसका अर्थ है सर्वोच्च से व्युत्पन्न संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च सत्ता की प्रतीक है। यह अधिशासी जनता से उस पर शासन करने का लिखित आदेश प्राप्त करती है। इसका अभिप्राय यह है कि राज्य की शक्ति शंकारहित है और राज्य को अधिकार है कि वह अपने नागरिकों से निष्ठा बनाए रखने की अपेक्षा करे। इसका अर्थ यह भी निकलता है कि राज्यादेश का उल्लंघन करने पर जुर्माना (penalty) लगेगा अथवा अन्य प्रकार से दंडनीय होगा। इसको 'आंतरिक संप्रभुता' भी कहा जाता है। आन्तरिक रूप से राज्य अपनी सीमाओं के अन्दर किसी व्यक्ति अथवा संगठन, जीवित अथवा कार्यरत, से श्रेष्ठ होता है तथा उन्हें राज्य के कानून और आदेश के अधीन कार्य करना पड़ता है। कोई भी राज्य से अधिक श्रेष्ठता अथवा इसके प्रति निरापदता का दावा नहीं कर सकता है। उनके ऊपर राज्य की शक्ति मूलभूत, सम्पूर्ण, असीमित और पूर्णतः व्यापक होती है। संप्रभुता के बाह्य लक्षण भी हैं, जिनका अर्थ है कि राष्ट्रमंडलों के बीच प्रत्येक राज्य सर्वोच्च होता है और अपने भाग्य निर्माण के लिए स्वतंत्र है। कोई अन्य राज्य अथवा अन्तरराष्ट्रीय संगठन किसी राज्य से श्रेष्ठ होने का दावा नहीं कर सकता। राज्य कतिपय संधियों अथवा अन्य वचनबद्धताओं के अधीन हो सकता है, परन्तु ये राज्य की तरफ से स्वतः आरोपित बाध्यताएँ होती हैं। कोई भी राज्य के ऊपर किसी ऐसी बाध्यता को लागू नहीं कर सकता है, अथवा उसके लिए विवश नहीं कर सकता है जो उसे स्वीकार न हो। इस प्रकार, राज्य आंतरिक और बाह्य संप्रभुता से सुसज्जित होता है, जिसके कारण उसके पास व्यक्तियों, समूहों अथवा संगठनों के ऊपर दमनकारी शक्तियाँ होती हैं और राज्य को निरंकुश बनाती हैं।

9.2.1 संप्रभुता की कुछ परिभाषाएँ

संप्रभुता "नागरिकों और प्रजा के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है और कानून इसे नियंत्रित नहीं कर सकता।"–

बोदां

संप्रभुता "उसमें निहित सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है, जिसके कार्य किसी अन्य के अधीन नहीं होते और जिसकी इच्छा का दमन नहीं किया जा सकता।"–

ग्रोटिअस

Scanned with CamScanner

संप्रभुता "सर्वोच्च, अदम्य, निरपेक्ष, अनियंत्रित प्राधिकार है जिसमें सर्वोच्च विधिगत शक्ति होती है।"

ब्लैकस्टोन

संप्रभुता "राज्य की शासन शक्ति होती है, यह राज्य में संगठित राष्ट्र की इच्छा है, यह राज्य क्षेत्र में सभी व्यक्तियों के ऊपर अप्रतिबंधित आदेश प्रदान करने का अधिकार है।"

दुग्युट

संप्रभुता "राज्य की सर्वोच्च इच्छा है।"

विलाउबी

संप्रभुता "राज्य द्वारा अन्तिम विधिक निग्राह्य शक्ति का अभ्यास है।"

सोल्टेयर

संप्रभुता "ऐसी धारणा है जो कम नहीं तो अधिक नहीं को बनाए रखती है और यदि समाज को कुल मिलाकर अस्तित्व में लाना है, तो राजनीतिक समाज के अन्दर एक अन्तिम प्राधिकार आवश्यक है।"

हिन्सले

संप्रभुता का अर्थ है "समुदाय के अन्दर राजनीतिक प्राधिकार जिसके पास एक प्रदत्त क्षेत्र के भीतर नियम, विनियम और नीति निर्धारण के लिए अविवादित अधिकार होता है।"

डैविड हैल्ड

9.2.2 संप्रभुता का अर्थ

संप्रभुता की उपरोक्त परिभाषाएँ संप्रभुता का परम्परागत दृष्टिकोण पेश करती हैं, जो निम्न मुद्दों पर जोर देते हैं :

i) संप्रभुता राज्य की विशेषता है।

ii) यह राज्य की सर्वोच्च इच्छा है।

iii) यह राज्य की विधिक निग्राह्य शक्ति है।

iv) संप्रभु कानून बनाता है और जनता से शासन का लिखित आदेश प्राप्त करता है।

v) संप्रभुता किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निकाय में निहित होती है।

vi) संप्रभुता की शक्ति निरपेक्ष और असीमित है।

9.3 संप्रभुता की धारणा का विकास

राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में संप्रभुता एक आधुनिक धारणा है। यह यूरोप में राष्ट्र–राज्य के उदय के साथ उस समय प्रकट हुई, जब शक्तिशाली नरेशों ने अपने प्राधिकार का दुरुपयोग किया। परन्तु इस प्रकार संप्रभुता की संकल्पना काफी पुरानी है और इसे पुराने ग्रीक शहरों – राज्यों में देखा जा सकता है। राजनीति–विज्ञान के जनक अरस्तू ने इसे राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में परिभाषित किया था। परन्तु अरस्तू ने संप्रभुता के स्वरूप की चर्चा नहीं की। उसने संप्रभुता की प्रास्थिति की ओर ही ध्यान दिया। यहाँ, अरस्तू के दो दृष्टिकोण थे। उनके अनुसार, राज्य का सुविचारित अंग संप्रभुता होनी चाहिए और उनका निश्चय था कि कानून सार्वभौमिक होना चाहिए। उनके द्वारा वांछित संप्रभुता कानून में निहित थी। रोमवासियों ने संप्रभुता को राज्य की शक्ति की पूर्णता के रूप में माना। यह आमतौर पर स्वीकार किया गया कि राज्य अपने नागरिकों के विवाद हल करने में अन्तिम प्राधिकरण होना चाहिए और राज्य का कानून उनपर बाध्यकारी होना चाहिए; रोमनवासी कानून की एकरूपता, विकेन्द्रित प्रशासन और समान नागरिकता के भी विचारदाता हैं।

Scanned with CamScanner